सारांश

ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2021

भारत की ग्रामीण बस्तियाँ आज लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले शहरीकरण के अत्यधिक दबावों के बोझ तले हैं। प्रायः, ये बस्तियाँ पड़ोसी शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास से प्रभावित होती हैं जिसके फलस्वरूप इन बस्तियों में अनियोजित स्थानिक विकास होता है। हालाँकि, ये बाहरी तत्व हमेशा हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि कई बार तो ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की संभावनाएं और अवसर लाते हैं। इस परिवर्तन का विशेष रूप से भारत की जनगणना 2011 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जिसमें जनगणना कस्बों (जो शहरी विशेषताओं के साथ ग्रामीण बस्तियों हैं) की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, ग्रामीण बस्तियों को, वर्तमान में, भारत में, अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में, समान विशेषताओं वाली बस्तियों की एक सजातीय श्रेणी के रूप में सामान्यीकृत किया जाता है, जिससे इन बस्तियों की विविधताओं और अंतर आवश्यकताओं को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जबकि शहरी बस्तियों में एक मजबूत स्थानिक भूमि उपयोग योजना प्रणाली है, ग्रामीण बस्तियों में व्यापक भूमि उपयोग योजना का अभाव है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और संबंधित राज्यों के नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम ग्रामीण बस्तियों की स्थानिक योजना की आवश्यकता पर जोर नहीं देते हैं। पिछले दशक में सभी के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले सुधार देखे गए, जैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) आदि। इसलिए, यह अनिवार्य है कि उन्हें औपचारिक नियोजन प्रक्रिया में एकीकृत किया जाय।

2. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने, आपदा की तैयारी सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में ग्रामीण बस्तियों की भूमिका अभी तक अव्याख्य है। इस संदर्भ में, और इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए, इन दिशानिर्देशों में ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए स्थानिक मास्टर प्लान तैयार करने और उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से जोड़ने की प्रक्रिया वर्णित की गई है।

3. पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने सर्वप्रथम 2016 में सचिव, एमओपीआर की अध्यक्षता में आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों के निर्माण के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह का गठन किया जिसमे शहरी विकास मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग जैसे मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य संगठन जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीसीपीओ), स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली, सीईपीटी यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी)) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) भी शामिल थे । इसके अलावा, 21 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के महानिदेशक की अध्यक्षता में आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक अलग दिशानिर्देश विकास समिति का गठन किया गया था। तदनुसार, आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश 2016 तैयार किए गए थे।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर मंथन करने के क्रम में, विशेष रूप से रुर्बन मिशन का उद्भव, जनगणना शहरों का उदय, स्वामित्व स्कीम के संचालन आदि के क्रम में, पंचायती राज मंत्रालय ने पाया कि योजना निर्माण एवं विकास के कार्य में गति देने के उद्देश्य से, नवीनतम तकनीक और कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए, इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने की आवश्यकता है। 2020 में, पंचायती राज मंत्रालय ने भारत के 17 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण विकास परिदृश्य में वर्तमान स्थिति और जमीनी हकीकत का विश्लेषण किया (देखें परिशिष्ट-1.4)। इसमें शामिल प्रत्येक संस्थान ने दो गांवों का चयन किया और स्थानिक योजना (उपस्थित या अनुपस्थित) तथा सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के संदर्भ में, पहचाने गए गांवों का गहन विश्लेषण किया और नवीन विचारों और सुझावों के साथ सामने आए। इनके आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी 2021 में SPA भोपाल, IIT रुड़की, CEPT अहमदाबाद और मणिपाल संस्थान को मिलाकर चार सदस्यीय संस्थानिक समिति का गठन किया। समिति ने बहुत आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करके दिशानिर्देशों में प्रासंगिक परिवर्धन की सिफारिश की। 20 जनवरी, 2022 को माननीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश जारी किए गए। संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश उन विभागों/संस्थाओं/संगठनों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना निर्माण /विकास का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित विकास में मदद और सुविधा के लिए संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों में मानदंड और मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य गांवों के समग्र एकीकृत विकास के लिए नियोजित स्थानिक विकास को बढ़ावा देना है। इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य हैं:

1. ग्राम पंचायत स्तरीय विकास योजना तैयार करने के लिए संशोधित कार्यप्रणाली ढांचे का सुझाव देना।

2. ग्राम पंचायत स्तरीय विकास के लिए, विशेष रूप से आबादी क्षेत्रों के विकास के लिए, एक स्थानिक मानक निर्धारित करना।

3. ग्राम स्तर पर आधारभूत संरचना सुविधाएं और सुख-सुविधाएं प्रदान करना और स्थानिक जिला योजना के साथ इसके एकीकरण के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना।

4. मौजूदा वैधानिक ढांचे के प्रावधान की जांच करना और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना ताकि ग्रामीण/ग्राम स्तरीय विकास योजना तैयार करना सुनिश्चित किया जा सके।

5. दिशानिर्देशों के संचालन के लिए संस्थागत ढांचे की सिफारिश करना और ग्राम पंचायत के नियोजित विकास के लिए एक रोड मैप प्रदान करना।

5. यह दस्तावेज़ ग्यारह अध्यायों में व्यवस्थित है, उसके बाद संदर्भ और प्रासंगिक अनुलग्नक दिये गए हैं। इन दिशानिर्देशों में मोटे तौर पर निम्नलिखित विषय शामिल हैं: ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना (जीपीएसडीपी), चरणबद्ध निर्माण विधियां, सामुदायिक भागीदारी, एसडीजी का समाकलन, आवश्यक योजना मानदंड/मानक, तकनीक, योजना निर्माण के उपकरण, संसाधन की व्यवस्था, बजट निर्माण की विभिन्न कार्य प्रणाली और योजना कार्यान्वयन के लिए सहयोगी संस्थागत तंत्र।

6. प्रथम अध्याय इस दस्तावेज़ की आवश्यकता, महत्व, लक्ष्य, उद्देश्य और विषय-क्षेत्र का वर्णन करता है। दूसरा अध्याय जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और ग्राम पंचायत स्तरों पर ग्रामीण स्थानिक योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक विधायी ढांचे और वैधानिक दायित्वों की रूपरेखा वर्णित करता है। यह अध्याय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 243-ZD(3)(a) के अनुसार जिला

योजना समितियों (डीपीसी) के गठन के लिए सक्षम कानूनों का उल्लेख करते हुए कई राज्यों द्वारा की गयी विधायी पहलों (तालिका 2.1 देखें) का हवाला देता है और संदर्भित करता है। यह जिला, ब्लॉक, क्लस्टर (एसपीएमआरएम द्वारा प्रचारित) और ग्राम पंचायत स्तरों पर समाकलित योजना की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा, यह राज्यों को अपने पंचायत अधिनियमों, नगर और ग्राम नियोजन अधिनियमों में संशोधन करने या ग्रामीण बस्तियों की स्थानिक योजना के लिए डीपीसी के निर्माण का समर्थन करने के लिए नए कानून बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस विधायी अंतर पर इस अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है और हस्तक्षेप की आवश्यकता को प्रमुखता देने का सुझाव दिया गया है। ग्रामीण आवास क्षेत्र, जिन्हें ग्रामीण बस्तियों के दिल की भूमि कहा जाता है, को एक ऐसे स्थल के रूप में पहचाना गया है जहां स्थानिक योजना और बुनियादी ढांचे के प्रावधान और मानकों को संबोधित करने की आवश्यकता है। SVAMITA और ग्राम- मानचित्र को भौतिक भूमि उपयोग योजना को समर्थन देने के लिए आवश्यक स्थानिक जानकारी (एक मानकीकृत पैमाने पर) प्रदान करने में प्रासंगिक सुधारों/कार्यक्रमों के रूप में पहचाना गया है। आबादी क्षेत्रों में नियंत्रित विकास की आवश्यकता पर इस अध्याय में चर्चा की गई है। इसके अलावा, प्रत्येक ग्राम पंचायत को आबादी क्षेत्र के वार्षिक अद्यतित नक्शों की निगरानी करने और उन तक पहुंच बनाने का सुझाव दिया गया है।

7. दिशा-निर्देशों में, योजना निर्माण के लिए सुझाव देते हुए, दो स्तरीय स्थानिक योजना सीमाएँ रखने की सिफारिश की गई है:

1. ग्राम पंचायत सीमा।
2. क्लस्टर क्षेत्र, (जिसे विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के प्रावधानीकरण के लिए उपयोगी पाया गया है)।

8. 73वें संविधान संशोधन एक्ट के आशय और 74वें संविधान संशोधन एक्ट के साथ इसके सम्बन्धों पर जोर देते हुए, जिला स्तर पर विस्तृत स्थानिक योजनाओं को जीपीएसडीपी में एकीकृत करने और शहरी-ग्रामीण संबंधों को और अनुकूलित करने का सुझाव इन दिशा-निर्देशों में दिया गया है। निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए स्थानिक बजट के साथ-साथ राजकोषीय योजना को बढ़ाने का प्रस्ताव भी इन दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

9. यह दस्तावेज़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, असम, 2011 की ग्राम पंचायत स्तरीय योजना की तैयारी के लिए हैंडबुक और केरल सरकार की एकीकृत जिला विकास योजना, स्थानीय विकास योजना, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर हैंडबुक, 2006 को संदर्भित करता है और ग्राम पंचायत स्तर की योजना के लिए निम्नलिखित छह-चरणीय योजना निर्माण प्रक्रिया का सुझाव देता है:

1. पहले से तैयार पंचायत के विजन दस्तावेज के आधार पर ग्राम सभाओं/वार्ड सभाओं द्वारा मुद्दों की पहचान।
2. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा समाधान के तरीकों का निर्धारण।
3. समाधान एवं निधि आवंटन को ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिकता देना।
4. परिणामस्वरूप प्रथम प्रारूप ग्राम पंचायत योजना तैयार करना।
5. दूसरी ग्राम सभा बैठक में मसौदा योजना पर पुनर्विचार।
6. ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक कर ग्राम पंचायत योजना को अंतिम रूप देना।

10. ऊपर उल्लिखित केरल मॉडल को अपनाते हुए, योजना तैयार करने की समय-सीमा 27 महीनों के रूप में सुझाई गई है, जिसमें वित्तीय योजनाएँ शामिल हैं। प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा गया है:

1. तैयारी का चरण (प्रारंभिक चरण)
2. स्थानीय विकास योजना की तैयारी
3. एकीकृत जिला विकास योजना की तैयारी

11. दिशानिर्देशों में, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों को जीपीएसडीपी तैयार करने के लिए नागरिकों को शामिल करने के लिए सहभागी दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। इसके लिए 'नागरिक विज्ञान' के उपयोग को तकनीकी रूप से सुसज्जित एक उपयुक्त दृष्टिकोण के रूप में पहचान की गई है।

12. दिशानिर्देश जीपीएसडीपी की तैयारी की जिम्मेदारी 'ग्राम योजना समितियों' को सौंपते हैं, जिसमें सरपंच, सचिव, के साथ-साथ राज्य के डीपीसी द्वारा निर्धारित अर्थशास्त्र, योजना, वित्त, इंजीनियरिंग या प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इसके अलावा, स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक, डॉक्टर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, एनजीओ कार्यकर्ता और पर्याप्त योग्यता वाले गांवों के युवा और महिलाएं भी योजना बनाने या निष्पादित करने के लिए गांवों/पंचायतों के लिए नियोजन मशीनरी/कर्मचारियों का हिस्सा बनाये जा सकते हैं। जिला स्तर पर, विभिन्न जीपीएसडीपी के समन्वय के लिए जिला ग्रामीण योजना विकास प्राधिकरणों (डीआरडीए) की पहचान करनी होगी। हालांकि, ग्राम पंचायतें स्वायत्त रूप से स्थानिक योजनाएँ तैयार करेंगी और उन्हें योजना और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए एक पूल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम का प्रस्ताव करके वित्तीय स्वायत्तता के साथ सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया है।

13. इस तथ्य के आधार पर कि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्थानिक योजना एक कमी है, अध्याय दो में प्रकाश डाला गया है कि, स्थानिक योजना न केवल भूमि उपयोग आवंटन है, बल्कि सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम संसाधन आवंटन करने के लिए तथा जुटाने के लिए; बेतरतीब और अनियोजित विकास को रोकने के लिए; शहरीकरण से जुड़ी हुई नकारात्मक बाह्यताओं का मुकाबला करने के लिए और ग्रामीण विकास के अवसरों का दोहन करने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। स्थानिक योजना भारत में ग्रामीण बस्तियों की भौगोलिक, आकारिक और सामाजिक-आर्थिक भिन्नता को स्वीकार करने का एक अवसर है। सुझाए गए वर्गीकरण का आधार यह है कि विभिन्न श्रेणी के गांवों की भूमि उपयोग योजना की जरूरतें और दृष्टिकोण अलग-अलग होंगे और यह जीपीएसडीपी द्वारा अपनाए गए स्थानिक नियोजन दृष्टिकोण में प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस प्रकार, अध्याय तीन गांवों का वर्गीकरण और इसकी आवश्यकता का सुझाव देता है। यह गांवों को वर्गीकृत करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार दस मानदंड सुझाता है। प्रत्येक मानदंड को परिभाषित किया गया है, और पहचान करने वाले तत्वों को वर्गीकरण प्रक्रिया के मानकीकरण के लिए वस्तुनिष्ठ बनाया गया है। इस प्रकार गाँव के प्रत्येक प्रकार के लिए एक सुझाव योग्य भूमि उपयोग वितरण की सिफारिश की गई है:

1. अंकित महानगर क्षेत्र/शहर/नगर के योजना क्षेत्र के भीतर के गांव - पेरी शहरी प्रभाव वाले
    (अ) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/राज्य राजमार्ग (एसएच) के साथ और नगर निगमों की शहरीकरण योग्य सीमा के भीतर

(ब) राष्ट्रीय राजमार्ग /राज्य राजमार्ग के साथ नहीं बल्कि नगर निगमों की शहरीकरण योग्य सीमा के भीतर

(स) पेरी-शहरी क्षेत्रों में गांव

2. आबादी के आकार के अनुसार वर्गीकृत किये गए गांव

(अ) बहुत बड़े गांव

(ब) बड़े गांव

(स) मध्यम गांव

(द) छोटे गांव

(इ) बस्तियां

3. जनगणना नगर - शहरी कार्यों का प्रभाव होना

(अ) आसन्न

(ब) परिधीय

(स) मध्य

(द) गैर-परिधीय

(इ) गैर-निकट

(एफ) क्लस्टर किया गया

(जी) पृथक

4. पिछड़े जिलों के आंतरिक/दुर्गम/ग्रामीण क्षेत्रों के गांव
5. पेसा के तहत गांव
6. एक्सप्रेसवे/राष्ट्रीय राजमार्ग /राज्य राजमार्ग -कॉरिडोर प्रभाव से सटे गांव
7. विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के गांव
8. संवेदनशील आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थित गांव
9. प्रमुख नदी जल निकासी बेसिन
10. पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गांव

14. यह महत्वपूर्ण है कि एक ग्रामीण बस्ती एक से अधिक श्रेणी के गांवों में शामिल की जा सकती है। गांव भी विकसित होते रहेंगे और पिछली श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित होते रहेंगे। इस प्रकार, हर बार एक जीपीएसडीपी को संशोधित किये जाने के समय, गांव के वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश जीपीएसडीपी की परिभाषा प्रदान करते हैं। अध्याय चार जीपीएसडीपी के पैमाने और योजना अवधि का विवरण देता है। यह मानचित्रण और भूमि उपयोग वितरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। इसके अलावा इस अध्याय में, योजना तैयार करने, कार्यान्वयन और चरणबद्ध निगरानी और मूल्यांकन के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रत्येक जीपीएसडीपी को पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए एक विजन रखने का सुझाव दिया गया है। जीपीएसडीपी तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों की होती है। ऊर्ध्वाधर एकीकरण के लिए योजना पदानुक्रम तीन पैमानों पर होने का सुझाव दिया गया है: माइक्रो (आबादी), मेसो (ग्राम पंचायत सीमा) और मैक्रो (ग्राम क्लस्टर / ब्लॉक / तहसील)।

<u>माइक्रो स्तर</u> - दिशानिर्देशों में स्वामित्व स्कीम द्वारा बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) प्रावधान का उपयोग करने का प्रस्ताव है--1:500 से 1:5000 के बीच के पैमाने पर, और निवासियों के लाभ

और जीवन की गुणवत्ता (क्यूओएल) के उत्थान के हेतु निर्मित पर्यावरण के सुधार के लिए योजना निर्माण , बुनियादी ढांचा प्रदान करने और भूमि उपयोग गतिविधियों को व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है।

<u>मेसो स्तर</u> - जीपीडीपी 2018 के दिशानिर्देशों को एक रेडी रेकनर के रूप में सुझाया गया है। तैयार की जा रही योजना को माइक्रो स्तर पर प्रस्तावित आबादी क्षेत्र योजना के साथ एकीकृत किया जाना है। योजना में भूमि कर सूचना, आम ग्रामीण सम्बन्धी सूचना, भू-आवरण परिवर्तन और ग्राम वार्ड स्तर की कमजोरियों को विशेष रूप से प्रदान किया जाना है। 1:1000 से 1:5000 के पैमाने पर काम करने का सुझाव दिया गया है।

<u>मैक्रो स्तर</u> - राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनयूआरएम) 2015 के संदर्भ में मैक्रो स्तर पर क्लस्टर की परिभाषा को अपनाया गया है। एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) की पहचान, योजना के लिए संदर्भित किए जाने वाले आधारभूत अध्ययनों को कवर करने वाले प्रमुख दस्तावेज के रूप में की जाती है। मैक्रो स्तर की योजना में कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए सड़क पदानुक्रम पर विशेष जोर दिया जाना है । 1:5000 से 1:25000 के पैमाने पर काम करने का सुझाव दिया गया है। इस प्रकार तैयार की गई योजना को माइक्रो और मेसो स्तरीय योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना है।

15. इसके अलावा, ऊर्ध्वाधर एकीकरण को मजबूत करने और अनुपयुक्त भूमि उपयोग की जांच करने और पर्यावरणीय मुद्दों को चिन्हांकित करने के लिए, दिशानिर्देश तहसील स्तर पर निर्देशात्मक भूमि उपयोग योजना (आईएलयूपी) तैयार करने का सुझाव देते हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मॉडल से प्रेरित होकर, आईएलयूपी को नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना है:

- उपग्रह इमेजरी, डिजिटल और प्राथमिक सर्वेक्षणों द्वारा आपूर्ति किए गए डेटा के आधार पर महत्वपूर्ण भूमि विशेषताओं के साथ आधार-मानचित्र तैयार करना
- तहसील को ज़ोन में बाँटने के लिए ढलान विश्लेषण करना
- भूमि उपयोग की तीव्रता के अनुसार भूमि का वर्गीकरण करना
- मौजूदा भू-आवरण और भू-उपयोग वितरण का मानचित्रण और मापन किया जाना
- जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरण और ढांचागत डेटा संग्रह और विश्लेषण करना
- अनुमान करना (5 से 10 वर्ष) - आर्थिक, आवास/आश्रय, परिवहन, बुनियादी ढांचे, और भूमि उपयोग/भूमि की जरूरतों के लिए
- प्रस्तावित निर्देशात्मक भूमि उपयोग योजना को तैयार करना और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) द्वारा अनुमोदित करवाना
- इस प्रकार तैयार किए गए आईएलयूपीज को कलेक्ट्रेट, तहसीलदार और जीपी के साथ कार्यान्वयन के लिए साझा करना

16. योजना के उपर्युक्त वर्णित स्तरों को उन्नत प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके पहुँच बनाने का सुझाव दिया गया है। मानचित्रण स्थानिक योजना का एक अभिन्न अंग है। स्वामित्व 2020 जैसी योजनाओं को अग्रदूत के रूप में पहचाना गया है। बेस मैप (1:500 स्केल), लैंड-यूज़ मैप, कैडस्ट्राल मैप, प्रॉपर्टी मैपिंग, यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और टेरेन मैपिंग की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए

जियो-स्पेशियल टूल्स और ड्रोन को बढ़ावा देना होगा। यह ध्यान देने की बात है कि उपरोक्त विवरण / मानचित्र अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं और ग्रामीण बस्तियों के कई अन्य संपत्ति और पहलुओं की आवश्यकता हो सकती है।

17. स्थानिक जानकारी के अलावा, सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा के लिए, उन्नत भारत अभियान (यूबीए) द्वारा निर्दिष्ट आधारभूत घरेलू सर्वेक्षणों के उपयोग को दो स्तरों पर आयोजित करने की सिफारिश की जाती है - गांव और घर, जिसकी सामग्री और उपयोग आगे विस्तार से दिये गए हैं । माध्यमिक सूचना और स्रोत नीचे सूचीबद्ध हैं:

- स्थलाकृतिक डेटा/टोपोशीट- 1:250,000 और 1:150,000 पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण
- भूमि उपयोग - डीटीसीपी
- सैटेलाइट इमेजरी - आधार मानचित्र के लिए कार्टोसैट, LISS II और LISS IV से लैंडकवर
- जनसांख्यिकीय - भारत की जनगणना की जानकारी, जिला जनगणना पुस्तिका
- स्थानिक डेटा अवसंरचना (एसडीआईज)
- ग्राम स्तरीय एसडीआई

18. सभी स्तरों पर, विशेष रूप से ग्राम पंचायत और आबादी स्तर पर, सहभागी नियोजन को सुगम बनाने के लिए नागरिक विज्ञान के प्रयोग की वकालत की गई है। अनुसंधान डिजाइन, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और प्रसार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए स्वयंसेवी नागरिक वैज्ञानिकों के उपयोग की सिफारिश की गई है। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों की भूमिका महिला स्वयंसेवकों की भागीदारी तथा गांव के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

19. योजना तैयार करने की प्रक्रिया और आवश्यक डेटा को और विस्तृत किया गया है। डिजिटल मैपिंग पर जोर दिया गया है जहां सभी गुणात्मक डेटा को स्थानिक डेटा के साथ सिंक्रनाइज़ करने की आवश्यकता है और प्रासंगिक विषयगत मानचित्र तैयार किए जाने हैं। मौजूदा परिदृश्य विश्लेषण में निम्नलिखित के अध्ययन को शामिल करना है:

- क्षेत्रीय परिस्थिति
- मानवीय संसाधन
- भूमि उपयोग और भूमि प्रबंधन (ग्राम स्तर)
- आर्थिक आधार (प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक)
- बुनियादी ढांचा (सामाजिक, भौतिक और आर्थिक)
- आपदा और जलवायु लचीलापन प्रोफाइलिंग
- संसाधन और संभावनाएं

20. शुरू की गई स्थानिक योजना का एक महत्वपूर्ण घटक राजकोषीय विश्लेषण है। इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र/राज्य वित्त पोषित योजनाओं और परियोजनाओं का अभिसरण सर्वोपरि है। ऐसी तैयार की गई योजनाओं की निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा पुनरीक्षा की जानी है:

कार्य समूह	स्थानिक योजनाएँ और परियोजनाओं की अवधारणा तैयार करता है
ग्राम सभा	सभी स्थानिक योजनाओं का समेकन
ग्राम पंचायत उप समितियां	सभी स्थानिक योजनाओं का मूल्यांकन
लाइन विभाग	उच्च स्तर पर तकनीकी जांच के लिए परियोजनाएं
ग्राम सभा	अंतिम स्थानिक योजना अनुमोदन

21. अध्याय पांच न्यायसंगत और अनुकूलित संसाधन आवंटन सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए भूमि उपयोग वितरण और बुनियादी ढांचे के प्रावधान के मानकों को परिभाषित करता है। यह अमृत दिशानिर्देशों (जीआईएस आधारित योजना के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों में ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को मानकीकृत करने की सुविधा) से अपनाए जाने वाले मानकीकृत भूमि उपयोग रंग कोड और प्रतीकों को भी प्रदान करता है। दस्तावेज़ में तालिका 5.1 विस्तृत विवरण प्रदान करती है। इसके अलावा, तालिका 5.2 भूमि उपयोग वितरण का सुझाव देती है। विशेष रूप से, सुझाने योग्य भूमि उपयोग वितरण गांवों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग मानकों और श्रेणियों को अपनाता है। कोशिश यह है कि अलग-अलग नियोजन दृष्टिकोणों को भूमि उपयोग वितरण द्वारा पूरक बनाया जाए। दिशानिर्देशों में प्रदान किए गए आवास योजना मानदंड आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और सामुदायिक और औद्योगिक भूमि उपयोगों में भूखंडों के आकार की एक श्रृंखला के लिए विकास नियंत्रण मानदंड (एफएआर, घनत्व, ऊंचाई, जमीन कवरेज, झटका इत्यादि) को परिभाषित करते हैं। यह प्रत्येक भू-उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त पार्किंग मानदंडों को भी परिभाषित करता है। अध्याय आगे प्रति व्यक्ति और जनसंख्या सीमा-रेखा के अनुभव पर आधारित नियम और जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क के बुनियादी ढांचे और सामाजिक बुनियादी ढांचे के मानकों को प्रदान करता है। यह पहचान करता है कि नवीनतम तकनीक को क्षेत्रीय रूप से सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में अपनाया जा सकता है। यह ग्रामीण सड़क प्रणाली को परिभाषित करता है जिसमें निम्नलिखित चौड़ाई और विशिष्टताओं के साथ शामिल होना चाहिए:

- प्राथमिक सड़कें (राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे)
- माध्यमिक सड़कें (राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कें)
- तृतीयक सड़कें (अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें)

22. नियमित बुनियादी ढांचे के मानकों के अलावा, दिशानिर्देश अतिरिक्त रूप से आर्थिक और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे को परिभाषित करते हैं। तालिका 5.15 विशेष रूप से पहचाने गए गांवों की श्रेणियों में भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे के मानकों का विवरण देती है। यह विशेष रूप से सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक महसूस किया गया है।

23. एसडीजी प्राप्त करने में ग्रामीण भारत की भूमिका को परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता को आगे बढ़ाते हुए, दिशानिर्देश आपदा प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन रणनीतियों के साथ-साथ भारत में ग्रामीण नियोजन में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को अपनाने पर विस्तृत हैं। अध्याय छह अपने आप में वैश्विक कारणों के लिए ग्रामीण परिदृश्य को परिवर्तन के परिदृश्य के रूप में बदलने का एक नया प्रयास है। एसडीजी

और ग्रामीण नियोजन के बीच संबंध स्थापित करते हुए, दस्तावेज सतत ग्रामीण विकास के लिए पांच-पैरामीटर दृष्टिकोण को परिभाषित करता है:

1. एकीकृत - ग्रामीण क्षेत्रीय योजना
2. सतत कृषि
3. अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना
4. सतत ग्रामीण बुनियादी ढांचा
5. सतत ग्रामीण आजीविका

नोट: यह दृष्टिकोण जीपीएसडीपी के निर्माण और तैयारी की 'विज़निंग' प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से उपयोगी है।

24. संसाधन प्रबंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम), और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ग्रामीण जैसे राष्ट्रीय और राज्य सुधारों/मिशनों/कार्यक्रमों को परिवर्तित करने के महत्व को समझाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, 2020 द्वारा प्रस्तावित समुदाय आधारित जल प्रबंधन प्रणाली की तर्ज पर अपशिष्ट प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य-जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में हितधारकों के साथ इसी तरह की तर्ज पर एसएलडब्ल्यूएम सुधार शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

25. जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन स्थिरता के विचार के लिए केंद्रीय होने के कारण, दिशानिर्देश ग्रामीण बस्तियों के लिए एक संपूर्ण कार्य योजना प्रदान करते हैं और यह पहचान करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानिक योजना इस कारण में कैसे योगदान दे सकती है। आपदा की तैयारी को सुरक्षा और शमन विधियों के संयोजन के रूप में देखा जाता है, जहां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रमुख संसाधनों (CIKR) की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में पहचाना जाता है। दिशानिर्देश सभी ग्रामीण बस्तियों के 'जलवायु प्रमाण' का सुझाव देते हैं। यह अनिवार्य रूप से स्थानिक रूप से मैप किए गए भेद्यता आकलन (वीए) को सुविधाजनक बनाने और इस प्रकार आपदाओं को कम करने में ग्राम पंचायत की भूमिका की पहचान करने के लिए है। वीए को पांच-घटक आयामों के रूप में देखा जाता है: भौतिक/कार्यात्मक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, और राजनीतिक/संस्थागत।

26. भेद्यता मानचित्रण को डिजिटल रूप से जीआईएस, रिमोट सेंसिंग टूल आदि के उपयोग से सुसज्जित किया जाना है, और राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस जैसे नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट (एनडीईएम), नेशनल स्पेसियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (एनएसडीआई) इत्यादि । चार चरणों में ग्राम पंचायतों की भूमिका की पहचान की गई है, जैसे योजना निर्माण , निधि प्रवाह, समन्वय और जलवायु प्रूफिंग में निगरानी। इसके अलावा, आवास, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ग्रामीण नियोजन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सेवाओं और आपदा लचीलापन जैसे मापदंडों के संबंध में अपनाने के लिए व्यापक रणनीतियों का सुझाव दिया गया है। ग्रामीण आपदा लचीलापन योजना (आरडीआरपी) दृष्टिकोण के ढांचे के बाद, दस्तावेज़ उसी के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया को इंगित करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से अपनाते हुए यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) घटकों पर चर्चा करता है जिसमें आपदा पूर्व, चालू और बाद की प्रतिक्रिया शामिल है। ग्रामीण समुदायों को आपदा रोधी बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन

(सीबीडीएम) के बॉटम-अप दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/ग्राम आपदा प्रबंधन योजना की अवधारणा को समझाया गया है, और इसके निर्माण का विस्तृत विवरण दिया गया है। आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) के चार स्तरों को इस प्रकार एकीकृत किया गया है, अर्थात् राज्य डीएमपी, जिला डीएमपी, क्लस्टर डीएमपी और ग्राम डीएमपी।

27. ग्राम पंचायतों की उभरती भूमिका और जीपीएसडीपी की बढ़ती आवश्यकता, ग्रामीण स्थानिक योजना के दायरे और महत्व, इसके विधायी ढांचे, अभिन्न घटकों, योजना निर्माण विधियों और एसडीजी के साथ उनके एकीकरण को रेखांकित और विस्तृत रूप से वर्णन करने के बाद; यह दस्तावेज़ जीपीएसडीपी के संचालन के लिए कौशल और संस्थागत सहायता तंत्र पर चर्चा करने पर केंद्रित होता है। अध्याय सात में, दिशा-निर्देश योजना निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक, तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध करते हैं। यह ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाने और बनाए रखने के लिए डेटाबेस की एक विस्तृत चेकलिस्ट प्रदान करता है। बीएसएसडीएल रिपोर्ट उसी का आधार बनाती है। इस डेटाबेस को प्राथमिक डेटा संग्रह विधियों, द्वितीयक डेटा संग्रह विधियों और डिजिटल डेटा संग्रह विधियों को लागू करते हुए विकसित करने का सुझाव दिया गया है। प्राथमिक डेटा संग्रह में वैज्ञानिक रूप से आयोजित दृष्ट / टोही सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निरीक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार, केंद्रित समूह चर्चा और स्व-सर्वेक्षण शामिल हैं। द्वितीयक डेटा संग्रह तकनीकों में प्रकाशित, अप्रकाशित आधिकारिक/सार्वजनिक स्रोतों से डेटा सोर्सिंग शामिल है जहां डेटासेट की प्रामाणिकता और अंतःक्रियाशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक समझा जाता है। डिजिटल डेटा संग्रह तकनीक एक ग्राम सूचना प्रणाली (वीआईएस) विकसित करने के विचार का प्रस्ताव करती है। यह एक स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली (एसडीएसएस) है, स्थानिक डेटा अवसंरचना और जीआईएस आधारित का एक हिस्सा, जिसे जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्थापित किया जाना है। स्थानिक और सामाजिक-आर्थिक योजना दोनों के लिए वीआईएस का उपयोग करने और प्लेटफॉर्म को तैयार जीपीएसडीपी से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

28. हवाई स्थानिक जानकारी को कैप्चर करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। ई-पंचायत, डिजी-गांव, पीएमएवाई (ग्रामीण) आवास मोबाइल एप्लिकेशन आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उपयोग करके क्राउडसोर्सिंग जानकारी को डेटा संग्रह विधि के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, स्थानिक जानकारी एकत्र करने के लिए, भारत सरकार द्वारा की गई पहलें जैसे भुवन (BHUVAN), ग्राम मानचित्र , स्वामित्व (SVAMITVA) और इसी तरह के उपकरणों के साथ एकीकरण का सुझाव दिया गया है। सैटेलाइट इमेजरी, जीपीएस के नक्शों का पैमाना, मैप चेकलिस्ट, टॉपोशीट्स के संग्रह के तरीके, एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डेटाबेस को छह पैमानों पर योजना के उद्देश्यों के लिए सटीक रूप से पहचाना गया है - क्षेत्रीय, पंचायत के लिए ग्राम मैप, आबादी क्षेत्र, गांव का लेआउट नक्शा, गांव का भूमि उपयोग नक्शा और आधारभूत संरचना लेआउट।

दस्तावेज़ में जीआईएस आधारित जीपीएसडीपी बनाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। एनआईआरडी केस स्टडी को संदर्भित करने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया गया है। GPSDP की तैयारी में GIS का उपयोग आरेखीय रूप से चित्रित किया गया है और स्थानिक योजना के लिए SVAMITVA और भुवन (NRSC ISRO) जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग तात्विक रूप से विस्तार में दिया गया है। भुवन पंचायत पोर्टल डेटाबेस जिसमें उपग्रह इमेजरी, विषयगत डेटा, विरासत डेटा, भूमि कर डेटा, प्रशासनिक सीमाएं (boundaries), परिसंपत्ति डेटा, गैर-स्थानिक डेटा शामिल हैं, को कुशल निगरानी के लिए

समय-समय पर उपलब्ध होने और सार्वजनिक डोमेन में सुलभ होने के लाभ के रूप में चर्चा की गई है। परीक्षण, पहुंच, कल्पना (visualise), विश्लेषण, समझ और स्थानिक और संबद्ध गैर-स्थानिक डेटा कार्यों को शामिल करने के लिए एक भू-विज़ुअलाइज़ेशन पोर्टल विकसित करना भी प्रस्तावित है। यह योजना निगरानी और समीक्षा की सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध होने के लिए एक वेब-सक्षम पोर्टल होगा । विभिन्न प्रकार के मानचित्रण अभ्यास और आवश्यक गैर-स्थानिक डेटा बेस सिंक्रनाइज़ेशन को एक-एक करके समझाया गया है, जहां प्रक्रिया की समझ को बढ़ाने के लिए संदर्भ छवियों, विंडो स्नैपशॉट और चित्रों का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी और तकनीकों के साथ-साथ नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रक्षेपण है। जीपीएसडीपी को जिला, तहसील, ग्रामीण क्लस्टर और जीपी स्केल पर निम्नलिखित करने का सुझाव दिया गया है: जनसंख्या अनुमान, सामाजिक-आर्थिक अनुमान, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं / प्रावधान, भूमि की आवश्यकताएं, और वित्तीय अनुमान।

29. ये दिशानिर्देश विशेष रूप से जीपीएसडीपी की सफलता के लिए भूमि, स्थानिक योजनाओं, बजट/अनुदान, और केंद्र/राज्य पूंजी परियोजनाओं के अभिसरण और समेकन को सर्वोपरि मानते हैं। अध्याय आठ और नौ में दिशानिर्देश इस क्षैतिज एकीकरण और अपनाई जाने वाली संसाधन समेकन रणनीतियों पर केंद्रित है।

30. नियोजित ग्रामीण विकास के लिए भूमि को सबसे अधिक दोहन किए जाने वाले कीमती संसाधनों में से एक के रूप में पहचाना गया है। भूमि चकबन्दी अभ्यासों की जगह नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) की तर्ज पर, दिशानिर्देश ने सभी गांवों में जीपीएसडीपी के अग्रदूत के रूप में ग्राम योजना स्कीम्स (वीपीएस) की पहचान की है। गांवों में भूखंडों के आकार / भूमि के आकार को युक्तिसंगत बनाने के लिए, गांवों को अवैध, असंगठित निर्मित फैलाव से बचाने का इरादा है। वीपीएस समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करके आबादी क्षेत्रों के लिए तैयार स्थानिक पुनर्गठन योजनाएं हैं। वीपीएस के उद्देश्य को ग्रामीण चरित्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखते हुए निरंतर आर्थिक विकास और भौतिक जीवन स्थितियों में सुधार के लिए स्थानीय संसाधन अनुकूलन के रूप में परिभाषित किया गया है। रहने योग्य बने रहने के लिए वीपीएस की तत्काल आवश्यकता के रूप में कुछ प्रकार के गांवों को प्राथमिकता देते हुए, अलग-अलग गांव टाइपोग्राफी के लिए वीपीएस के लिए विचारणीय दृष्टिकोण एक तालिका में प्रदान किए गए हैं। वीपीएस के मुख्य घटक एक फिर से तैयार किया गया प्लॉट लेआउट मैप, आबादी क्षेत्र के लिए एक भूमि उपयोग योजना, ग्राम स्तर के विकास नियंत्रण मानदंड और बुनियादी ढांचे / सुविधाओं / सेवाओं के नक्शे होंगे। महत्वपूर्ण रूप से, वीपीएस को वीआईएस से जोड़ने की अवधारणा की गई है ताकि वीआईएस केंद्रीकृत भू-आधारित वेब सक्षम सूचना पोर्टलों में फीड हो सके।

31. ग्रामीण स्थानिक विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए भूमि के अलावा, वित्तीय संसाधन जुटाना और प्रबंधन भी सर्वोच्च महत्व का है। भारत में ग्राम पंचायतों के राजस्व को कर राजस्व (स्वयं द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया या साझा किया गया), गैर-कर राजस्व, अनुदान और ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में राजकोषीय समानता केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार, अध्याय नौ में दस्तावेज़ दसवें वित्त आयोग के बाद से पंचायतों को दिए गए केंद्रीय विभाज्य पूल के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण का विश्लेषण करता है और इसे नवीनतम पंद्रहवें वित्त आयोग में शामिल करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पंद्रहवां वित्त आयोग एक सीमा का सुझाव देता है जिसके भीतर ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों, तीनों स्तरों को अनुदान प्राप्त

करना है। पंचायतों को अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड हैं। जीपीएसडीपी तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कुल धनराशि का 2% आवंटित करने का सुझाव दिया गया है। राजकोषीय संसाधन प्रबंधन के बारे में चर्चा निम्नलिखित पर प्रकाश डालती है:

1. पंचायतों के लिए स्वयं के राजस्व स्रोतों को मजबूत करने की आवश्यकता
2. जिला योजना समितियों के साथ समन्वय में ग्राम पंचायत बजट तैयार करना
3. नियमित और निष्पक्ष लेखा परीक्षा के साथ एक पारदर्शी लेखा प्रणाली बनाना
4. केंद्रीय/राज्य ग्रामीण योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियों/सुधारों के साथ बजट का अभिसरण
5. वित्त के सभी स्रोतों का जीपीएसडीपी के साथ एकीकरण
6. स्थानिक बजट को बढ़ावा देना

32. स्थानिक बजट में स्वयं के राजस्व संसाधनों, प्रदर्शन-आधारित अनुदान, मूल अनुदान, निधियों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष स्रोतों, क्षेत्रीय वार्षिक व्यय/अनुदान उपयोग, परियोजनावार वार्षिक व्यय, सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि - आवंटित बनाम उपयोग की गई, क्षेत्रवार राजस्व, अनुदान और व्यय इत्यादि जैसे विषयगत क्षेत्रों के मानचित्रण को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ग्रामीण वार्ड स्तर पर ग्राम पंचायतों के भीतर बजटीय आवंटन और उपयोग का तुलनात्मक विश्लेषण स्थानीय स्तर पर राजकोषीय समानता सुनिश्चित करने के लिए व्याख्यात्मक क्षमताओं को और बढ़ा सकता है। स्थानिक बजट के लिए उपयोगी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए वेब आधारित डेटा स्रोतों की पहचान की गई है और उन्हें तालिका 9.6 में सूचीबद्ध किया गया है। बजटीय निर्णयों के सहज दृश्यता को सक्षम करने के लिए ऐसी जानकारी वीआईएस का एक हिस्सा भी हो सकती है।

33. स्थानिक, वित्तीय और कार्यात्मक एकीकरण और अभिसरण से परे, जीपीएसडीपी की सफलता के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में, संस्थागत एकीकरण की सिफारिश की गई है। अध्याय दस जीपीडीपी और जीपीएसडीपी के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित एक संस्थागत संरचना प्रदान करता है। समुदाय आधारित भागीदारी योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी प्रस्तावित संस्थागत अभिसरण का मूल उद्देश्य है। सबसे निचले स्तर की पहचान वार्ड सभा (डब्ल्यूएस) के रूप में की गई है जिसमें वार्ड के सभी निवासियों को GPDP और GPSDP दोनों पर आवश्यकता के आधार पर चर्चा करने के लिए भाग लेना होता है। वार्ड सभा के लिए स्थानिक योजना (जीपीएसडीपी) की तैयारी के समय नियमित रूप से मिलने का प्रस्ताव है ताकि वे अपने जरूरतों पर चर्चा कर सके और योजना तैयार करने में शामिल टीम को इसे बता सके।वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड के पंच करते हैं। समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) जैसे महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, माता-पिता, शिक्षक संघ, marginal समूह आदि को भी आवश्यकता के अनुसार स्थानिक योजना तैयार करते समय दिए जाने वाले इनपुट पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करनी है। दोनों समूहों (डब्ल्यूएस और सीबीओ) द्वारा आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर ग्राम सभा स्तर पर कार्य की एक प्राथमिकता वाली समेकित सूची तैयार की जानी है। कार्य की प्राथमिकता वाली समेकित सूची के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रवार कार्यदल (डब्ल्यूजी) का गठन किया जाना है। इन कार्य समूहों में पंचायती राज विभाग के जिला या ब्लॉक स्तर के एक आरडीए (ग्रामीण विकास सहायक) के अलावा लाइन विभाग के एक प्रतिनिधि अधिकारी, सीबीओ समूहों से प्रत्येक से एक और ग्राम सभा क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव (सचिव) को इन कार्यकारी समूहों का संयोजक और सरपंच को अध्यक्ष होने का सुझाव दिया गया है। लाइन विभाग के अधिकारियों को शामिल करना कार्य और धन के आवंटन के दोहरेपन से बचने में मदद करना है।

यह आगे इस क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धन को समेकित करने में मदद करेगा। ये समूह तब ग्राम पंचायत के लिए शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करते हैं और उन्हें ग्राम सभा से अनुमोदित करवाते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज विभाग/लाइन विभाग से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आगे बढ़ने से पहले ग्राम पंचायत उप-समिति (जीपीएससी) से इसकी वैधता, व्यवहार्यता और प्रभाव विश्लेषण के लिए इसका मूल्यांकन करवाएगा। योजना निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 'नागरिक विज्ञान' का उपयोग करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त संस्थागत व्यवस्था के अलावा, कई पदाधिकारियों और तकनीकी सहायता समूहों की भूमिका और संरचना को भी निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

1. जिला नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपीडी)
2. ग्रामीण विकास सहायक (आरडीए)
3. ग्राम पंचायत योजना समितियां

34. राज्य और ब्लॉक स्तरों पर हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण ढांचे का सुझाव दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए एसआईआरडी, एसबीएम-जी, एसआरएलएम, मनरेगा, सबके लिए आवास, रूरबन आदि से संसाधन व्यक्तियों या मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान की जानी है। प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री को तदनुसार डिजाइन और प्रसारित करने की आवश्यकता होगी । सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा संस्थागत अभिसरण को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 'सरकार में आईसीटी' की अवधारणा को अपनाते हुए, ई-प्रशासन, ई-सेवा और ई-लोकतंत्र जैसे तीन घटकों के साथ ई-गवर्नेंस को प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्य क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।

35. दिशानिर्देशों का अंतिम अध्याय आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में सिफारिशें करता है। मोटे तौर पर निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :

1. राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के नगर और ग्राम नियोजन विभागों द्वारा आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को अपनाना और यह सुनिश्चित करना कि जीपीडीपी और जीपीएसडीपी की तैयारी में इस दिशानिर्देशों द्वारा प्रदान की गई योजना तैयार करने के तरीकों, उपकरणों, तकनीकों तथा मानकों को अपनाएं।
2. सुझाए गए ग्रामीण स्थानिक नियोजन संस्थागत और तकनीकी ढांचे को समायोजित करने के लिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, केंद्र और संबंधित राज्य के कानूनों/नीतियों में संशोधन किया जाए।
3. राज्यों के नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियमों में संशोधन किया जाय ।
4. जीपीएसडीपी का कार्यान्वयन सख्ती से समयबद्ध गतिविधि होना चाहिए। यह दस्तावे ज़ जीपीएसडीपी कार्यान्वयन के लिए इसके पूर्व तथा पश्चात के कार्यान्वयन स्थितियों में चरणबद्ध समय-सीमा का सुझाव देता है।
5. नियोजन तं त्र के क्षमता निर्माण को तत्काल हस्तक्षे प की आवश्यकता वाला क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रशिक्षण को विशेष रूप से पहचानने और प्रदान करने की आवश्यकता है।
6. जीपीएसडीपी की प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण हेतु लोगों की भागीदारी आवश्यक मानी गई है।

7. मानव संसाधन को विभिन्न केंद्र/राज्य सुधारों/योजनाओं/परियोजनाओं से प्राप्त और परिवर्तित किया जाना है। एनजीओ, सीबीओ, एसएचजी और स्वयंसेवकों को स्थानीय स्तर पर दिशा-निर्देशों के संचालन में सहायक के रूप में मान्यता दी गई है।
8. एक मजबूत ग्रामीण स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसडीआई) का निर्माण किया जाना है ।
9. ग्राम सूचना प्रणाली का विकास (विआईएस) भी किया जाना है ।
10. स्थानिक बजट प्रथाओं को संस्थागत बनाना है ।

36. दिशानिर्देश भारत में ग्रामीण नियोजन के लिए भूमि उपयोग योजना के विस्तार की आवश्यकता और दायरे की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है।

37. इसके अलावा, आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानिक योजना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित/परिष्कृत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल ग्रामीण परिवर्तन अधिनियम 2022 तैयार करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि नियोजित विकास की परिकल्पना की जा सके। आशा है कि यह योजना, नियोजन, विकास तथा आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि उपयोग को विनियमित करना और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानिक योजना शुरू करने के लिए संस्थागत तंत्र और नियामक ढांचे को मजबूत करके जीवन स्तर और इससे संबंधित मामलों को बढ़ावा देने में सुविधा प्रदान करेगा।

———————